

<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग, गांधीनगर ई-मेल: Gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

सं- गुज/जाम/बौक्स-006

पंजीकृत पत्र

उल्लंघन पत्र

दिनांक :27.10.17

सेवा में : M/s. Prabhudas Vitthaldas Makhecha
Matur Pankh Society,
Opp Circuit villa, Chopati Road,
District-Porbandar-360575 (Gujarat)

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिला में स्थित आपकी वीरपुर-केनेडी बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-110/P, 506/P, क्षेत्रफल 70.8216हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन। (Mine Code-07GUJ 07066)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27/09/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p>The mining operations are being carried out in violation of the following provision of the approved Modified Mining Plan (Approved vide letter No. 682(23) (MP-405)/2007 UDP, dated 07.09.2015 for the period 2015-16 to 2017-18.</p> <p>As per the Chapter-8, Para-8.3.5, total 300 saplings proposed to be planted on statutory barrier during the year 2016-17 but no such plantation have been carried out at designated locations against the proposals.</p>
Rule 14	<p><i>All the non-saleable or un-usable minerals above the threshold value of mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines from time to time, or otherwise shall be stacked separately on ground earmarked for the purpose.</i></p> <p>But, In your case, it is observed that non-saleable or un-usable mineral was stacked in unsystematic manner in mining lease area.</p>
Rule 28(1)	<p><i>The holder of the mining lease shall send a notice in Form-E when the mining operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding 90 days so as to reach at concerned offices within 120 days</i></p> <p>But in your case the aforesaid notice in prescribe Form-E not submitted to the Regional Controller of Mine.</p>
Rule 33	<p><i>The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017</i></p> <p>In your case, you have not submitted the aforesaid plans & sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.</p>

02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।

03. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगित किया जा सकता है, आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है ।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे ।

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.),
3. सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, जिल्हा सेवा सदन-1 माला, लालपुर बायपास रोड, धरमपुर, खम्बालिया-361305.
4. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो